



# ❖ कार्यालय उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर) ❖



पुराना कोल डिपो, झोटवाडा रोड, पानी पेच, जयपुर-302016 e-mail dcfjaipurnorth@gmail.com Ph. 0141-2303165

क्रमांक :- एफ( ) FCA/उवसंजउ/2022-23/4324  
निमित्त,

दिनांक 24-03-2023

मुख्य वन संरक्षक,  
जयपुर।

विषय :- प्रस्ताव "Construction of 765 KV D/C Sikar II Aligarh Transmission line, District- Sikar, Jaipur & Alwar (Raj.) in rajasthan Portine AP-1 to AP- 180 Common Point Rajasthan state boundary. Total route length 174.350 km & Area 15.6043 & Proposal No. FP/RJ/TRANS/144853/2021 के क्रम में।

सन्दर्भ:- अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर के द्वारा उक्त प्रकरण में किये गये ऑनलाईन EDS के पत्र क्रमांक 5053-56 दिनांक 27.02.2023 एवं आपके कार्यालय के द्वारा जारी ऑनलाईन EDS दिनांक 2.03.2023 के क्रम में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर के द्वारा उक्त प्रकरण में किये गये ऑनलाईन EDS दिनांक 27.02.2023 का बिन्दुवार जवाब निम्नानुसार तैयार कर आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैं:-

| क्र.सं. | कमियां                                                                                                                                                               | जवाब                                                                                                                                                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | प्रस्ताव पारिषण लाईन डालने से संबंधित हैं। अतः सभी उप वन संरक्षकगण यह अवगत करावें कि प्रस्ताव में कितने वृक्षों की छंगाई होगी। इस हेतु पृथक-पृथक सूची उपलब्ध करावें। | इस कार्यालय के अधिन आने वाली पारिषण लाईन के मार्ग में कुल 1853 वृक्ष आ रहे हैं। जिसमें से केवल 519 वृक्ष ही काटे जायेंगे। उक्त सूचना पार्ट-2 के साथ पूर्व में भिजवाई जा चुकी है। सुलभ संदर्भ हेतु पुनः प्रेषित हैं। |
| 2.      | उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर) द्वारा संलग्न क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना 1000 पौधे प्रति हैक्टर के अनुसार नहीं हैं।                                                   | क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना में 1000 पौधे प्रति हैक्टर के अनुसार संशोधन कर दिया गया है।                                                                                                                            |

संलग्न :- उपरोक्तानुसार 4 सेट में।

भवदीय,

(मनफूल बिश्नोई)

उप वन संरक्षक

जयपुर (उत्तर)

क्रमांक :- एफ( ) FCA/उवसंजउ/2022-23/4325

दिनांक 24-03-2023

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर।

उप वन संरक्षक

जयपुर (उत्तर)